न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारी:—**राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

अनुवान

बलविन्द्र सिह वगैरा   बनाम सुखवीर सिह वगैरा

राजस्व वाद : बाबत ईस्तकरार हक व खाता तकसीम

नम्बर मुकदमा –   330/2023

निर्णय दिनांक:– 15-03-2024

1 बलविन्द्र सिह पुत्र सरवन सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 बलकरण सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 सुखवीर सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 भुप सिह पुत्र सम्पतकराम जाति जाट सा. ढाणी 2 एम.जे.डी. (रतनपुरा) तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 राजेन्द्र कुमार पुत्र सम्पतराम जाति जाट सा. ढाणी 2 एम.जे.डी. (रतनपुरा) तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 भागीरथ पुत्र मनफुल पुत्र रावता जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

5 बलराम पुत्र मनफुल पुत्र रावता जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

6 कृष्ण कुमार पुत्र रतीराम पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

7 अमर सिह पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

8 गुट्टीराम पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

9 शीलुराम पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

10 महेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

11 साहबराम पुत्र बृजलाल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

12 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:11 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वादीगण
श्री चरणजीत सिह सिद्धू प्रति स. 1
श्री गुरमीत सिह कलसी प्रति स. 2–3 व 11

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण व प्रति स. 1व श्योकौरी पत्नी सम्पतराम, के नाम सांझा खाता में चक 6 एन.टी.डब्लयु खाता स. 93/78 खाता बलकरण सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में सांझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रति स. 1 व मनफुल पुत्र रावता व साबराम पुत्र बृजलाल के नाम सांझा खाता में चक 5 एन.टी.डब्लयु खाता स. 72/52 खाता बलकरण सिह वगैरा जमाबन्दी सवत 2071–74 में साझा खाता मे आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।उक्त भुमि वादीगण व प्रति स. 1 को हमारी माता गुरदेव कौर पत्न सरवन सिह से प्राप्त हुई है।नकल इन्तकाल स. 319 चक 5 एन.टी.डंब्लयु व नकल इन्तकाल स. 278 चक 6 एन.टी.डब्लयु संलग्न वाद पत्र है। चक 5 एन.टी.डब्लयु खाता स. 72/52 खाता बलकरण सिह वगैरा में पुर्व में खाता 1.771 है0 का था। जिसमे से प.न. 175/176 मु न. 51 किला न. 1–10–11 का खाता मनफुल पुत्र रावता व साहबराम पुत्र बृजलाल ने अपने नाम से पुर्व मे ही अलग करवा लिया है। वर्तमान में उक्त खाता स. 1.012 है0 आराजी ही है। जो वादीगण व प्रति स. 1 के हक व हिस्सा की है।जिसमें निस्फ हिस्सा का हक वादी स. 1 का व निस्फ हिस्सा का वादी स. 2 व प्रति स. 1 का ब.हि.ब. के हिसाब से है। इसी प्रकार चक 6 एन.टी.डब्लयु खाता स. 93/78 खाता बलकरण सिह वगैरा में श्योकौरी पत्नी सम्पतराम का कोई हक व हिस्सा नही है। इस खाता की कुल 0.367 है0 आराजी वादीगण व प्रति स. 1 के हिस्सा की ही है। जिसमें निस्फ हिस्सा का हक वादी स. 1 का व निस्फ हिस्सा का हक वादी स. 2 व प्रति स. 1 का ब.हि.ब. के हिसाब से है। अत: चक 6 एन.टी.डब्लयु खाता स. 93/78 से श्योकौरी पत्नी सम्पतराम व चक 5 एन.टी.डब्लयु खात स. 72/52 से मनफुल पुत्र रावता व साहबराम पुत्र बृजलाल का नाम कलमजन किया जावे।इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करना चाहते है। व उक्त खातो का मुताबिक कब्जाकाश्त विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर खाते अलग अलग कायम किया जावे । वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीगण को दावा की दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अंकन करवा वादीगण के नाम दर्ज करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अत:चक 5 एन.टी.डब्लयु खाता स. 72/52 खाता बलकरण सिह वगैरा की कुल 1.012 है0 आराजी के वादीगण व प्रति स. 1 खातेदार काश्तकार है। जिसमें निस्फ हिस्सा का हक वादी स. 1 का व निस्फ हिस्सा का वादी स. 2 व प्रति ... हिसाब से है।इसमें मनफुल पुत्र रावता व साहबराम पुत्र बृजलाल का ... व हिस्सा नही है।इसी प्रकार चक 6 एन.टी.डब्लयु ... 93/78 खाता बलकरण सिह वगैरा की कुल 0.367 है0 आराजी के ... खातेदार काश्तकार है। जिसमे निस्फ हिस्सा का हक ... हिस्सा का हक वादी स. 2 व प्रति स. 1 का ब.हि.ब. के हिसाब से है।इसमें ... श्योकौरी पत्नी सम्पतराम का कोई हक व हिस्सा नही है।अत उक्त खातो से श्योकौरी पत्नी सम्पतराम व मनफुल पुत्र रावता व साहबराम पुत्र बृजलाल का नाम कलमजन किया जावे।व उक्त खातो का मुताबिक कब्जाकाश्त विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर खाते अलग अलग कायम किया जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.08.08 10:34:11 IST
Reason: SelfAttested

(34)

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण स. 4 ता 10 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति स. 4 ता 10 की तलबी साधारण सम्मन से करवाई गई। उक्त प्रतिवादी उपस्थित नही होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स. 1 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 2–3 व 11 ने जरिये अधिवक्ता वकालतनामा पेश किया। प्रति स. 2–3 व 11 जवाब पेश नही करना चाहते है। प्रति स. 12 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।साक्ष्य वादी में वादी स. 1 बलविन्द्र सिह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया।जो शामिल मिसल है। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य वादी/ प्रतिवादीगण बन्द किया गया।अधिवक्ता वादीगण द्वारा फार्म न. 3 के साथ नकल जमाबन्दी चक 6 एन.टी.डब्लयु खाता स. 93/78 खाता बलकरण सिह वगैरा ज.स. 2073–76 व चक 5 एन.टी.डब्लयु खाता स. 72/52 खाता बलकरण सिह वगैरा ज.स. 2071–74 पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र की तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एव प्रतिवादीगण सहकाश्तकार होना एवं प्रतिवादीगण सहमत होना बतलाते हुए वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रति स. 1 ने अपनी सहमती दी गई। लेकिन अपने कब्जा काश्त के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किये। न्यायालय के मत के सभी सहखातेदारो की उपस्थिति में तहसीलदार राजस्व संगरिया से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित प्रतित होता है।

दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है। प्रति स. 4 ता 10 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति स. 1 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया गया।प्रकरण में कोई विरोधा–भास नही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई।वादी एवं उपस्ति प्रतिवादीगणो द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है एवं [illegible] सह स्थिति स्पष्ट नही है। प्रति स. 4 ता 10 उपस्थित नही होने [illegible] खातेदार होने के कारण इनके हित को ध्यान में रखते हुए वादीगण [illegible] पत्र में तहसीलदार संगरिया से समस्त सह [illegible] राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम [illegible] की पालना की जाकर अच्छी– मन्दी, खाला,रास्ता की सुविधा का ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकरो का विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मय प्रमाणित नजरी नक्शा मंगवाया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:11 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] एवं
[illegible] अधिकारी
संगरिया

(50)

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि समस्त काश्तकारो की उपस्थिति में विधि सम्मत सुनवाई का पुर्ण अवसर देकर चक 6 एन.टी.डब्लयु खाता स. 93/78 खाता बलकरण सिह वगैरा ज.स. 2073–76 व चक 5 एन.टी.डब्लयु खाता स. 72/52 खाता बलकरण सिह वगैरा ज. स. 2071–74 के समस्त सह काश्तकारो के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी–मन्दी,खाला रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारो का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा गिरदावर व स्वंय के हस्ताक्षरित कर अपनी अनुशषा सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से लिखा जावे। प्राथमिक पर्चा डिकी अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:11 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे प्राथमिक डिकी

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार मीना (आर. ए. एस)

1 बलविन्द्र सिह पुत्र सरवन सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 बलकरण सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 सुखवीर सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 भुप सिह पुत्र सम्पतकराम जाति जाट सा. ढाणी 2 एम.जे.डी. (रतनपुरा) तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 राजेन्द्र कुमार पुत्र सम्पतराम जाति जाट सा. ढाणी 2 एम.जे.डी. (रतनपुरा) तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 भागीरथ पुत्र मनफुल पुत्र रावता जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

5 बलराम पुत्र मनफुल पुत्र रावता जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

6 कृष्ण कुमार पुत्र रतीराम पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

7 अमर सिह पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

8 गुट्टीराम पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

9 शीलुराम पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

10 महेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

11 साहबराम पुत्र बृजलाल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

12 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण मु.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.08.08 10:34:11 IS
Reason: SelfAttested

330 / 2023 , दावा अर्न्तगत धारा 88 / 53 अधिनियम

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के सम[illegible]स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एडवोकेट वादीगण श्री चरणजीत सिह सिद्धू एडवाकेट प्रतिवादी स. 1 व श्री गुरमीत सिह कलसी एडवोकेट प्रति स. 2–3 व 11 मिन जानिब मुदायला पेश होकर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
संगरिया

(42)

हुक्म दिया जाता है एव वाद वादी में प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि चक 6 एन.टी.डब्लयु खाता स. 93/78 खाता बलकरण सिह वगैरा ज.स. 2073–76 व चक 5 एन.टी.डब्लयु खाता स. 72/52 खाता बलकरण सिह वगैरा ज.स. 2071–74के समस्त सह काश्तकारो के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी–मन्दी,खाला रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारा का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर पेश करे। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव के साथ आगामी दिनांक 18.04.2024 को पेश हो।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 15/03/2024 के मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:11 IST
Reason: SelfAttested

(43)

कार्यालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : रीडर / 24 / 59 दिनांक : – 18.3.2024

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

विषय :– दावा संख्या 330 / 2023 अनवान बलविन्द्र सिंह बनाम सुखवीर सिंह वगैरा में प्राथमिक डिक्री दिंनाक 15.03.2024 विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के साथ दावा संख्या दावा संख्या 330 / 2023 अनवान बलविन्द्र सिंह बनाम सुखवीर सिंह वगैरा में प्राथमिक डिक्री दिंनाक 15.03.2024 में समस्त सह खातेदारों के विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निर्णय पारित किया गया है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.03.2024 की प्रति संलग्न है।

अतः आप राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18–21 की पालना करते हुए उक्त प्रकरण में समस्त सहखातेदारों के विभाजन प्रस्ताव तैयारकर तथा नजरी नक्शा में अलग–अलग दर्शाया जाकर अपने हस्ताक्षर सहित विभाजन प्रस्ताव आगामी तारीख 18.04.2024 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था करावें।

सलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:11 IST
Reason: SelfAttested

(51)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(ओ 20 रूल 6–7जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

राजस्व वाद : इस्तकरार हक व खाता विभाजन,

1 बलविन्द्र सिह पुत्र सरवन सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 बलकरण सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 सुखवीर सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 भुप सिह पुत्र सम्पतकराम जाति जाट सा. ढाणी 2 एम.जे.डी. (रतनपुरा) तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 राजेन्द्र कुमार पुत्र सम्पतराम जाति जाट सा. ढाणी 2 एम.जे.डी. (रतनपुरा) तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 भागीरथ पुत्र मनफुल पुत्र रावता जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

5 बलराम पुत्र मनफुल पुत्र रावता जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

6 कृष्ण कुमार पुत्र रतीराम पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

7 अमर सिह पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

8 गुट्टीराम पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

9 शीलुराम पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

10 महेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

11 साहबराम पुत्र बृजलाल जाति जाट सा. रतनपुरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ

12 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

मु. स. 330 / 2023 दावा अर्न्तगत धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:11 IST
Reason: SelfAttested

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष ... इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अधिवक्ता वादीगण ... मुताबिक विभाजन प्रतिवादीगण की ओर से दिया जाता है कि वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा वादीगण व उक्त प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे :–

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी

(५६)

चक 5 एन.टी.डब्लयु के खाता स. 72/52 में कुल रकबा 1.012 है0 मे मौका पर कब्जाः–

1 बलविन्द्र सिह पुत्र सरवन सिह 1/2 हि, बलकरण सिह, सुखवीर सिह पि. राजेन्द्र सिह ब.हि.ब. 1/2 हि जाति जटसिख सा. रतनपुरा

175/176 51 19 ता 22/.253प्र कुल रकबा 1.012 है0

चक 6 एन.टी.डब्लयु के खाता स. 93/78 में कुल रकबा 0.367 है. मे मौका पर कब्जा काश्तः–

1 बलकरण सिह, सुखवीर सिह पि. राजेन्द्र सिह ब.हि.ब. 1/2 हि. बलविन्द्र सिह पुत्र सरवन सिह 1/2 हि. जाति जटसिख सा. रतनपुरा

174/176 54 16/3/.114 25/1/.228 कुल रकबा 0.342 है0 नहरी

2 साहबराम पुत्र बृजलाल जाति जाट सा. 1 एम.जे.डी.

174/176 54 4/1/.025 है0 कुल रकबा 0.025 है0 नहरी

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र कमांकः– प्रा.डिकी/भू.अ./024/1969 दिनांक 24–05–2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकी का आवश्यक भाग रहेगा।खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज......X...... मुब्लिक......X...... बाबत......X......खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......X...... को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 19.07.2024 को जारी की गई।

नोट :–यदि हक हिस्सा प्रभांवित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:11 IST
Reason: SelfAttested